

आदेश

रीवा/दिनांक 12-07-2021

क्रमांक/181 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 621/03/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डल अधिकारी सीधी के पत्र क्रमांक/ मा0चि0/7147 दिनांक 09.07.2021 से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन महान (गुलाब सागर) नहर निर्माण में प्रभावित 2.851 हे. वनभूमि के बदले में ग्राम बोदारी टोला तहसील मझौली की आराजी खसरा क्रमांक 136/2 रकबा 2.851 हे. में तैयार की गई क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना (वैकल्पिक वृक्षारोपण) की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०	योजना का नाम	परिक्षेत्र	कार्य का प्रकार	कार्य स्थल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में	तकनीकी स्वीकृति की राशि रुपये में
1	महान (गुलाब सागर) नहर निर्माण प्रकरण क्रमांक (FP/MP/ IRRIG/ 35107/2018)	मझौली	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना (वैकल्पिक वृक्षारोपण)	ग्राम बोदारी टोला खसरा नं. 136/2	2.851 हे.	73,92,923/-

शर्तें-

2- मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक भू-सर्वेक्षण/बजट/दस/1415 दिनांक 24.02.2004 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के पालन में कम से कम जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत होना अनिवार्य रहेगा। इसी तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं:-

1- सभी वैकल्पिक वृक्षारोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

2- वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना गम्भीरता से बनाई जाये तथा तकनीकी तथा आर्थिक योजना का अंश इस प्रकार योजनाबद्ध किये जाये कि जीवित पौधों का प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत करने में सहायक सिद्ध हो। जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई माह में कराई जावे।

3- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पौधों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में उन वृक्षारोपणों को वैकल्पिक वृक्षारोपणों की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा तथा असफलता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कार्य कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी अतः भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।

5- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मजदूरी की दर में वृद्धि कर प्रावधान किया गया है फिर भी यदि मजदूरी के दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है तो अंतर की राशि संबंधित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।

(ए.के. सिंह नावसे.)

मुख्य वन संरक्षक

रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पृ० क्रमांक/ मा०चि०/ 5283

रीवा, दिनांक 12-07-2021

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./4147 दिनांक 09.07.

2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

कैम्पा मद अंतर्गत वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष :- 2022-23 से 2032-33



वृक्षारोपण (कैम्पा मद)

खसरा क्रमांक :- 136/2 ग्राम बोदारी टोला तह. मझौली
जिला सीधी (म.प्र.)

रोपण योग्य रकवा:- 2.851 हे०

समिति/बीट/सर्किल - उजरहा टोला/बड़काडोल/मझौली

लागत राशि 8132215
2852408 प्रति हे.

वन परिक्षेत्र :- मझौली
उप वन मण्डल :- मझौली
वनमण्डल :- सीधी

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वर्ष-2022-23 से 2032-33

बीट:- बड़काडोल

उप वनमण्डल :-मझौली

परियोजना

वन परिक्षेत्र :-मझौली

वन मण्डल :-सीधी

महान (गुलाब सागर) नहर निर्माण योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण में प्रभावित वनभूमि 2.851 हे. सिंचाई विभाग को उपयोग पर देने वावत

भाग- एक

- | | | |
|------|---|--|
| (1) | पातन श्रेणी- | गैर वनभूमि ग्राम बोदारी टोला |
| (2) | कूप नं० | - |
| (3) | खसरा क्रमांक- | 136/2 |
| (4) | कूप का रकवा-हे० | - |
| (5) | रोपण योग्य रकवा- | 2.851 हे० |
| (6) | जैविक दबाव की स्थिति- | सामान्य |
| | कार्य वृत्त का नाम | गैर वनभूमि 2.851 हे. ग्राम बोदारी टोला |
| | मिट्टी का प्रकार | रेतीली दोमट |
| (7) | वन समिति का नाम- | उजरहा टोला |
| (8) | समिति का प्रकार- | ग्राम वन समिति |
| (9) | समिति का बैंक खाता विवरण- | |
| | (क) समिति खाता नं० | 22180072655 |
| | बैंक का नाम- | INDIAN BANK MAJHAULI |
| | (ख) विकास खाता नं० | 22180093212 |
| | बैंक का नाम- | INDIAN BANK MAJHAULI |
| (10) | ग्रामों के नाम जिनके श्रमिक कार्य पर लगाये जायेंगे- | ग्राम बोदारी टोला, चमराडोल |
| (11) | क्षेत्र का भौतिक स्वरूप- | अर्द्ध पहाड़ी, चारो तरफ ढलान, सेन्डस्टोन, मिट्टी-रेतीली दोमट |
| (12) | भू-क्षरण की स्थिति- | सामान्य से अधिक |
| (13) | प्रस्तावित क्षेत्र की संनिधि विवरण :- | |
| | (क) घनत्व- | 0.2 |
| | (ख) स्थल गुणवत्ता- | VB |
| | (ग) प्रकार- | गैर वनभूमि |
| | (घ) आयु- | - |
| (14) | प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व के उपचार/वृक्षारोपण विवरण :- | |
| | (क) उपचार वर्ष- | 0 |
| | (ख) उपचार परिणाम | 0 |
| | (ग) असफल की स्थिति में कारण- | 0 |
| | (घ) वृक्षारोपण वर्ष- | 0 |
| | (ड.) रोपण परिणाम | 0 |
| | (च) असफल की स्थिति में कारण- | - |

5) प्रस्तावित क्षेत्र की जी0पी0एस0 रीडिंग:-

1	N-24°06'30.75"	E-081°31'32.51"
2	N-24°06'35.20"	E-081°31'31.88"
3	N-24°06'35.80"	E-081°31'37.30"
4	N-24°06'36.00"	E-081°31'37.20"
5	N-24°06'35.94"	E-081°31'38.20"
6	N-24°06'35.30"	E-081°31'38.20"
7	N-24°06'35.39"	E-081°31'39.94"
8	N-24°06'35.09"	E-081°31'40.45"
9	N-24°06'34.84"	E-081°31'41.88"
10	N-24°06'33.68"	E-081°31'41.93"
11	N-24°06'33.07"	E-081°31'40.86"
12	N-24°06'31.96"	E-081°31'36.72"

(16) कूप का वर्तमान संग्रिधि मानचित्र वृक्षारोपण क्षेत्र में मौजूद वनस्पतियों का विवरण :-

क्र.	प्रजाति	21-30	31-45	46-60	61-90	91-120	121-150	151-180	180 से ऊपर
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(17) कूप का उपचार मानचित्र - संलग्न है।

(18) कार्य का उद्देश्य एवं लक्ष्य-

- 1 क्षतिपूर्ति वनीकरण के माध्यम से वनों के घनत्व में वृद्धि करना।
- 2 पर्यावरण में सुधार।
- 3 समिति के गरीब आदिवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।

(19) लक्ष्य प्राप्ति की समय-सीमा-

- 1 क्षेत्र तैयारी कार्य- कार्य स्वीकृति होने पर वित्तीय वर्ष के अन्दर क्षेत्र तैयार की जाकर कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।
- 2 पौधा रोपण कार्य- प्रथम अच्छी वारिष होने से 15 दिवस के अन्दर पूर्ण किया जावेगा।

(20) लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत विवरण-

- 1 क्षेत्र तैयारी कार्य।
- 2 पौधा रोपण कार्य।
- 3 क्षेत्र को घेर कर सुरक्षा कार्य।

(21) लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनुश्रवण व्यवस्था-

- 1 बीट प्रभारी द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रोजेक्ट मुताबिक स्थल पर भूमि तैयारी, पौधा रोपण एवं सुरक्षा कार्य आदि कराया जावेगा।
- 2 परिक्षेत्र सहायक द्वारा क्षेत्र तैयारी, पौधा रोपण व उसके बाद एवं सुरक्षा के दौरान कार्यों का मेजरमेन्ट कर मूल्यांकन की रिपोर्ट परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित करना।
- 3 परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा क्षेत्र तैयारी, पौधा रोपण व उसके बाद एवं सुरक्षा के दौरान समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण कर मूल्यांकन/सत्यापन की रिपोर्ट वरिष्ठों को भेजी जावेगी।
- 4 वनमण्डल अधिकारी द्वारा पौधा रोपण करवाते समय एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् वर्ष में दो बार निरीक्षण कर गुणवत्ता के तहत निर्देश व सुझाव स्थल पर कार्यरत अगले को देगे एवं सत्यापन किया जावेगा।
- 5 वनमण्डल अधिकारी सीधी द्वारा क्षेत्र तैयारी एवं पौधा रोपण करवाते समय एवं कार्य समाप्ति पश्चात् वर्ष में एक बार निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जावेगा।

उपचार विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 2851
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	2500			
बीजा	0			
दहिमन	285			
बहेड़ा	0			
हरी	0			
मोदा	0			
करंज	66			
योग	2851			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य:- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रैच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बाण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुनर्त्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये डूब ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा अभिकर्मी के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में विरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में 3 बार, चतुर्थ वर्ष प्रथम एवं द्वितीय एवं पंचम वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
7. रख-रखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रख-रखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई को गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वन मण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वन मण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थानों से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रख-रखाव अवधि समाप्त होने पर भूखंड स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

(22) कार्य समाप्ति प्रतिवेदन- समाप्ति उपरांत निर्धारित प्रारूप पर दिया जावेगा।

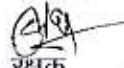

उप वनमण्डल अधिकारी
गझौली


वन परिक्षेत्र अधिकारी
मझौली

कार्यालय वन परिक्षेत्र मझौली

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिवेदन स्थल ग्राम बोदारी टोला खसरा क्र. 136/2 वृक्षारोपण का साईट स्पेसिफिक तैयार किए जाने हेतु क्षेत्रीय डाटा/जानकारी मेरे द्वारा संग्रहित किया गया है जो सही है। चयन किया गया क्षेत्र वृक्षारोपण के उपयुक्त है।


वन रक्षक

बीटगार्ड बड़काडोल

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिवेदन स्थल ग्राम बोदारी टोला खसरा क्र. 136/2 का साईट स्पेसिफिक तैयार किए जाने हेतु क्षेत्रीय डाटा/जानकारी मेरे द्वारा संग्रहित किया गया है जो सही है। चयन किया गया क्षेत्र वृक्षारोपण के उपयुक्त है।


परिक्षेत्र सहायक
मझौली

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिवेदन स्थल ग्राम बोदारी टोला खसरा क्र. 136/2 का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, वृक्षारोपण का परियोजना प्रतिवेदन को मेरे द्वारा तैयार किया गया है। चयन किया गया क्षेत्र वृक्षारोपण के उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
मझौली

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिवेदन स्थल ग्राम बोदारी टोला खसरा क्र. 136/2 का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, वृक्षारोपण का परियोजना प्रतिवेदन को मेरे द्वारा तैयार किया गया है। चयन किया गया क्षेत्र वृक्षारोपण के उपयुक्त है।


उप वन मण्डल अधिकारी
मझौली

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वनमण्डल का नाम	:	सीधी
परिक्षेत्र का नाम	:	मझौली
खसरा क्रमांक	:	136/2
वृक्षारोपण का कुल रकबा(हेक्टेयर में)	:	2.851
रोपण योग्य रकबा (हेक्टेयर में)	:	2.851
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	:	2851
ग्राम वन सगिति का नाम	:	उजरहा टोला

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिर्षक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	2.851	ha	0.45	प्रति हे०	1	जोबदर
2	मुनारा निर्माण कार्य	15	प्रति गु०		Lumsum	286	जोबदर
3	क्षेत्र सफाई (हे०)	2.851	ha	4.00	प्रति हे०	11	जोबदर
4	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	0	ha	12.50	प्रति हेक्ट	0	जोबदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.5 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज वेनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही 2 मीटर ऊँचे सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2851	Rmt	2.4	Rmt	6842	गणना के आधार पर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टकिंग एवं एलाइनमेंट	2851	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	7	जोबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	2851	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	143	जोबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	77.939	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	117	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	38.970	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	117	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	2851	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	43	जोबदर
11	हट निर्माण	1	L.S.			100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)	1				200	अनुमानित
	योग					7867	
13	शू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	1967	अनुमानित
	कुल योग					9834	

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मादि)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	2851	पौधे	10	10/प्रति पौधा	709	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	570	पौधे	10	10/प्रति पौधा	142	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3421	पौधे	1.5	1.5/100	51.318	जॉबदर
	सिर घोड़ा द्वारा 1 कि०मी०	3421	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	13.6848	जॉबदर
3	लैटाना मापिंग अप ऑपरेशन	0	हेक्टेयर		प्रति हेक्ट		जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	2851	गड्डे	1.8	1.8 प्रति सैकड़ा	51.318	जॉबदर
5	प्रथम निदाई						
	पौधों में	2851	पौधे	1.25	1.25/100	35.6375	जॉबदर
6	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	2851	पौधे	1	1/100	29	जॉबदर
7	तृतीय निदाई						
	पौधों में	2851	पौधे	1	1/100	29	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	2851	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	17	जॉबदर
9	मान्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
	6 मीटर चौड़ी	4000	4000 mtr	3.35	3.35 /किमी	13	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	10000 mtr	2.25	2.25/किमी	23	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	2851	पौधे	Lumsum		600	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					400	अनुमानित
योग:-						2383	

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा			दर प्रति ईकाई (मा. दि.)	कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	285	पौधे	10	10 रुपये प्रति पौधा	71	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (सख्या)						बाजार दर
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	285	पौधे	1.5	1.5 / 100	4.2765	जोबदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	285	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	1.1404	जोबदार
3	तेनलिक फेसिंग गरममत कार्य (मीटर)					40	अनुमानित
4	प्रथम निदाई						
	पौधों में	2851	पौधे	1.25	1.25 / 100	35.6375	जोबदार
5	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	2851	पौधे	1	1 मादि / 100	28.51	जोबदार
6	तृतीय निदाई						
	पौधों में	2851	पौधे	1	1 मादि / 100	28.51	जोबदार
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	2851	पौधे	0.6	0.6 मादि / सैकड़ा	17.106	जोबदार
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4000	4000 mtr	3.35	3.35 / किमी	13	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	10000	10000 mtr	2.25	2.25 / किमी	23	जोबदार
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	1	12 माह			360	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		पौधे		Lumsum	600	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					400	अनुमानित
योग:-						1622	

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	285	पौधा	10	10 रुपये प्रति पौधा	36	बाजार दर
2 पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	285	पौधे	1.5	100	4.2765	जीवदर
रिप बोझ द्वारा 1 कि०मी०	285	पौधे	0.4	सैकड़ा	1.1404	जीवदर
3 प्रथम निंदाई						
पौधों में	2851	पौधे	1.25	100	36	जीवदर
4 द्वितीय निंदाई						
पौधों में	2851	पौधे	1	100	29	जीवदर
5 अन्तारिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	जीवदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	जीवदर
6 सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50	अनुमानित
8 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		पौधे		Lumsum	50	अनुमानित
योग:-					601	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिखर
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1. वैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
2. पशुम निदाई						
पौधों से	2851	पौधे	1.25	100	36	जोषदर
3. आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	जोषदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	जोषदर
4. सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
5. अग्नि लाग					50	अनुमानित
योग:					582	

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमान
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1. आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
8 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	जोखदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	जोखदर
2. सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3. अन्य व्यय					100	अनुमानित
योग:-					496	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	जोबदार
4 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	जोबदार
2 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3 अन्य व्यय					210	अनुमानित
योग:-					606	

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	सिमांक
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
पारंपरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5 मीटर चौड़ी	40000	mtr	3.35	किमी	13	जोबदार
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	जोबदार
2 सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3 अन्य व्यय					50	अनुमानित
योग-					446	

योजना का नवम वर्ष 2030-31

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	जीवदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	जीवदर
2 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3 अन्य व्यय					50	अनुमानित
योग:-					446	

योजना का दशम वर्ष 2031-32

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिफार्ष
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
					योग-	446	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	जॉयदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	जॉयदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
					योग-	446	

गोशवारा, आदर्श रोपण
2.851 हे० असिंचित

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम वर्ष 2022-23	9834	1	9834
द्वितीय वर्ष 2023-24	2383	1.06	2526
तृतीय वर्ष 2024-25	1622	1.1236	1823
चतुर्थ वर्ष 2025-26	601	1.191	716
पंचम वर्ष 2026-27	582	1.2625	734
षष्ठम वर्ष 2027-28	496	1.3382	664
सप्तम वर्ष 2028-29	606	1.4185	859
अष्टम वर्ष 2029-30	446	1.504	671
नवम वर्ष 2030-31	446	1.594	711
दशम वर्ष 2031-32	446	1.69	754
ग्यारवा वर्ष 2032-33	446	1.79	798
कुल योग			20089
कुल राशि			7392923
आस्थामूलक कार्य 5%			369646
मानव संसाधन विकास कार्य 1%			73929
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य 4%			295717
योग			8132215
पर्यवेक्षण शुल्क 10%			0
महायोग			8132215

वन परिक्षेत्राधिकारी
मझौली

महायोग

उप वन मण्डलाधिकारी
मझौली

7392923

वन मण्डलाधिकारी
सीधी (मोप्रो)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये चयनित यह वन क्षेत्र
रोपण हेतु उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
मझौली

उप वन मण्डलाधिकारी
मझौली

वन मण्डलाधिकारी
सीधी (मोप्रो)

मुख्य वन संरक्षक
सीधी वन सीधी (म.प्र.)

नकली स्वीकृति राशि रुपये 73,92,923 आदेश क्रमांक 181 दिनांक 12/7